उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-43/2016/463/22-4-16-48(57)/15

लखनऊ : दिनांक- 12 अप्रैल, 2016

नियुक्ति निरस्तीकरण

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-669 में निहित अधिकारों के अधीन शासानादेश संख्या-97/2015/484/22-4-15-48(55)12, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जिला कारागार कानपुर नगर का जेल विजिटर नियुक्त किया गया था:-

(1) श्री फिरोज अहमद खान पुत्र श्री एजाजुद्दीन, निवासी-130/571, आजाद नगर, बाकरगंज, थाना- बाबूपुरवा, जनपद- कानपुर नगर।

(2) श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री शिवनाथ सिंह यादव, निवासी-381/9, डी ओमपुरा, नई बस्ती, थाना चकेरी, जनपद- कानपुर नगर।

2- सम्यक् विचारोपरान्त जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-671(ब) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री फिरोज अहमद खान पुत्र श्री एजाजुद्दीन एवं श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री शिवनाथ सिंह यादव की जिला कारागार, कानपुर नगर में गैर सरकारी जेल विजिटर के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

एस0के0 रघुवंशी

सचिव

संख्या-43/2016/463(1)/22-4-16-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।

5- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।

6- सम्बन्धित व्यक्ति।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in